

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 1065 / 14-1 दिनांक, मेरठ 25, सितम्बर, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/जीडल अधिकारी
उपप्रान्त, मेरठ

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 000.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1-भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/४८१ दिनांक ०७.०१.२०२०।
2-आपका पत्रांक ६८६/११-सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड़/३९९९९/२०१९ दिनांक २४.०९.२०२०।
3-प्रभगीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक ९११/१४-१ दिनांक २४.०९.२०२०।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभगीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ से प्राप्त वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted.	भारत सरकार के आपत्ति सं० १ के निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है। समतुल्य वन भूमि उसी स्थिति में दी जाती है। जब आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हो जबकि प्रकरण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। इस के तहत पूर्व में ही संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल का उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly rasided CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted.	भारत सरकार के आपत्ति सं० २ के निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। तथा भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

भवदीय,

(एन०के जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

संख्या 1065 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभगीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद एवं हापुड़ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन०के जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।